कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-छतरपुर(म.प्र.)

Email- deochhaterpur@gmail.com Tel-No. 07682-241704

क्रमांक/757 /पन्द्रह/निर्वाचन/2020 छतरपुर, दिनांक-24/07/2020

By - email
No. 5354
Date 25-7-20

//निविदा सूचना//

(विडियो ग्राफी हेतु)

विधानसभा उप चुनाव वर्ष 2020 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराये जाने हेतु छतरपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र 53-मलहरा के महत्वपूर्ण नाजुक (क्रिटिकल) घटनाओं एवं निर्वाचन विधि के उल्लघंन की घटनाओं की वीडियोग्राफी कराये जाने हेतु इच्छुक फर्म/संस्थाओं से निविदा शर्तो के अधीन वीडियो कैमरा/डिजिटल कैमरा प्रति नग (केमरा मैन सहित)/प्रति दर शीलबंद निविदाये दिनांक 06.08.2020 को अपरान्ह समय 2.00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय छतरपुर में आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निविदा कमेटी द्वारा निविदायें खोली जावेगी।

निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में दिनांक 05.08.2020 तक रू. 500/- नगद जमा करने पर प्राप्त किया जा सकता है निविदाकार को धरोहर **राशि 20,000/-(बीस हजार रूपये)** मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,जिला छतरपुर म.प्र. के पक्ष में जमा करना अनिवार्य है।

निविदा की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों एवं समय में नियत दिनांक. तक प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदाकार के समक्ष दिनांक 06.08.2020 को सायं 4.00 बजे निविदा कमेटी के समक्ष खोली जावेगी। जिसे जिले की वेबसाइट http://chhatarpur.nic.in एवं http://www.chhatarpur.mp.gov.in/ में देखा जा सकता है।

कलेक्टर 24/7/2020
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला छतरपुर म0प्र0

पृष्ठां0कं./757 /पन्द्रह/निर्वा0/2020 छतरपुर, दिनांक 24 /07/2020

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन भोपाल को सूचनार्थ।
2. कमिश्नर, सागर संभाग सागर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, बांणगंगा रोड भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि प्रादेशिक समाचार पत्रों में निविदा सूचना का प्रकाशन निःशुल्क कराने का कष्ट करें ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त) ....की ओर भेजकर निविदा सूचना प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
5. जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला छतरपुर को 10 प्रतियां अतिरिक्त भेजकर लेख है कि स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय में भेजने का कष्ट करें ।
6. अनुविभागीय अधिकारी समस्त जिलां छतरपुर ।
7. डी.आई.ओ.एन.आई.सी. जिला छतरपुर की ओर उक्त निविदा सूचना को वेबसाइट http://chhatarpur.nic.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस जिला छतरपुर की आरे की ओर उक्त निविदा सूचना को वेबसाइट http://www.chhatarpur.mp.gov.in/ पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. जिला कार्यालय/नगरपालिका/तहसील कार्यालयों के नोटिस बोर्डो पर एक-एक प्रति प्रकाशनार्थ चस्पा हेतु ।
10. स्थानीय वीडियो ग्राफर दुकानदारों.. जिला छतरपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला छतरपुर म0प्र0

D:\SK\Khare ji\NIVIDA LETTER\nivida 2020

निविदा की शर्तें:-

1. निविदा के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
2. निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में 20,000/- रू. राष्ट्रीयकृत बैंक का बैक ड्राफ्ट जो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम देय होगा संलग्न किया जाना अनिवार्य है। बिना प्रतिभूति राशि के प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
3. वीडियोग्राफी कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है तथा वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना चाहिये।
4. निविदाकार को किसी राजनैतिक दल अथवा किसी अभ्यर्थी से कोई संबंध नहीं होना चाहिये।
5. निविदादाता किसी राजनैतिकदल अथवा अभ्यर्थी से चाय, नाश्ता, खाना इत्यादि ग्रहण नहीं करेगा। यदि इसका उल्लघंन पाया गया तो निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. निविदादाता सीधे रिटर्निंग आफिसर अथवा उसके अधिकृत अधिकारी के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।
7. निविदाता का कार्यक्षेत्र आवश्यक कैमरों की संख्या परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 के अनुसार होगी।
8. निविदादाता वीडियो कैसिट पूर्ण होने तक कैसिट की सुरक्षा के लिये पूर्णतः जिम्मेदार रहेगा। वीडियो कैसेट पूर्ण होने पर निविदादाता तत्काल इस कैसेट को रिटर्निंग आफिसर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिध को सौपेगा।
9. निविदादाता प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट रिटर्निंग आफिसर/सहा0 रिटर्निंग ऑफिसर अथवा उसके अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
10. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत सफल निविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी कि कार्य निरंतर रूप से चलता रहे किसी भी तरह से विलम्ब अथवा रूकावट के लिये उसे भुगतान देय नहीं होगा एवं प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी।
11. निविदादाता द्वारा जिस दर पर निविदा कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि समस्त प्रकार के कर सम्मिलित हैं।
12. सफल निविदाकार को देय भुगतान के समय आयकर की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
13. किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर का होगा।
14. निविदा का प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।
15. यदि निविदादाता द्वारा निर्धारित शर्त प्रक्रिया एवं रिटर्निंग आफिसर द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का उल्लघंन पाया गया तो उसकी स्वीकृत निविदा निरस्त कर दी जायेगी व किसी तरह का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं वीडियोग्राफी कार्य अन्य वीडियोग्राफर से स्वीकृत दर पर करा लिया जावेगा।
16. कैमरामेन जिस अधिकारी के साथ रहकर वीडियोग्राफी का कार्य करता है तो उसे संबंधित अधिकारी अथवा उनके अधिकृत स्टाफ से अपनी उपस्थिति एवं कार्य का सत्यापन कराना होगा।
17. प्रतिदिन किये गये कार्य की सी0डी0 संबंधित अधिकारी को तैयार कर देना होगी ताकि देयक का सत्यापन वांछनीय अभिलेख सी0डी0 कैसेट के आधार पर संबंधित अधिकारी जिनके साथ कार्य किया है सत्यापन कराया जा सके।
18. भुगतान की कार्यवाही शासन स्वीकृति एवं निर्देशों के तहत ही किया जावेगा।
19. दुकान का पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा में G.S.T. नम्बर आदि की जानकारी का उल्लेख करना आवश्यक है।
20. भुगतान ई-पेमेन्ट से किया जावेगा। अतः बैंक/शाखा का नाम, आईएफएस कोड और खाता नंबर आदि की जानकारी देना अनिवार्य है।
21. निविदा स्वीकृत करने एवं अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को होगा जो सर्वमान्य होगा।

कलेक्टर,
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
छतरपुर, म0प्र0

D:\SK\Khare ji\NIVIDA LETTER\nivida 2020